संख्याः-06/2020/218/61-2020-550/2019

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 02 मार्च, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अंतर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–159/सी0ई0ओ0-3-29/3-2019, दिनांक-14 फ़रवरी ,2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधीन कार्यालय व्यय एवं चिकित्सा व्यय तथा टेलीफोन पर व्यय के लिए रू0– 318.69 लाख (रूपये तीन करोड़ अटठारह लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0–9 (भाग–1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/ प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

(4) पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कर लिया जायेगा।

(5) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(8) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा कम्प्यूटर/उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (Gem)/आई0टी0 टेण्डरिंग के माध्यम से किये जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

(9) लेखाशीर्षक 103-04 में होने वाले व्यय का वहन शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा लेखाशीर्षक 103-05-में होने वाले व्यय का वहन 50-50 प्रतिशत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(10) आहरित धनराशि किसी बैंक/पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-41 लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03- सामान्य निर्वाचन–00–04–यात्रा व्यय मद की संभावित बचतों से अनुदान संख्या-41 के लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण -04 विधान परिषद-00-08-कार्यालय व्यय एवं लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण -05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-00-49 चिकित्सा व्यय तथा लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार -05-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधानसभा-00-13-टेलीफोन पर व्यय के अंतर्गत पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-वित्त ई0-12-435/दस-19, दिनांक 28 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्तः-

भवदीय,

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

संख्याः-06/2020/218(1)/61-2020-550/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग–3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम:-41, निर्वाचन विभाग वित्तीय वर्ष:-2019-2020 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-00- 04-यात्रा व्यय	8688.36	435.23	435.23	318.69	8369.67
योग:-	**8688.36**	**435.23**	**435.23**	**318.69**	**8369.67**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2015-निर्वाचन-00- 103-निर्वाचन नामावली तैयार करना एवं मुद्रण- 04-विधान परिषद-00- 08-कार्यालय व्यय	12.00	324.62	312.62	312.62	324.62
2015-निर्वाचन-00- 103-निर्वाचन नामावली तैयार करना एवं मुद्रण- 05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय- 49-चिकित्सा व्यय-	35.41	47.53	5.00	5.00	40.41
2015-निर्वाचन-00- 106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 05- सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00- 13- टेलीफोन पर व्यय-	2.82	3.89	1.07	1.07	3.89
योग:-	**50.23**	**376.04**	**318.69**	**318.69**	**368.92**

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैं:-

चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की संभावना के कारण बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाचार पत्रों मे प्रकाशित करायी गयी लोक सूचना के प्रकाशन/पुनः प्रकाशन तथा विविध व्यय से संबंधित भुगतान हेतु, लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई से संबंधित देयकों के भुगतान हेतु, जनपदों में डाटा इन्ट्री आपरेटरों को तैनात किये जाने के संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में निविदा सूचना को प्रकाशित कराये जाने तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठकों आदि पर हुए व्यय से संबंधित देयकों के भुगतान हेतु, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 एवं विधान सभा उप निर्वाचन-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

2019 में जनपदों में स्थापित कराये गये टेलीफोन, ब्राण्डबैण्ड आदि से संबंधित देयकों के भुगतान हेतु विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 में करायी गयी विविध व्यवस्थाओं से संबंधित देयकों के भुगतान हेतु, विधान सभा उप निर्वाचन- 2019 के समय ई0वी0एम0 चेकिंग एवं एफ0एल0सी0 के लिये आये टेक्नीशियन्स के टी.ए.,डी.ए. के भुगतान हेतु राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग/हजरतगंज, लखनऊ के देयकों के भुगतान हेतु तथा मतदान प्रक्रिया की मानिटरिंग हेतु मतदेय स्थलों पर करायी गयी वेबकास्टिंग से सम्बन्धित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आरई. 452/ई-12-435/दस-2020, दिनांक 28 फ़रवरी, 2020

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

राजीव कुमार वत्स
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

संख्या: 06/2020/218/61-2020-550/2019, दिनांक 02 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, वितीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है